FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) जायल

अदालत.......................................मुकाम.......................................

लालचंद ....बनाम.................... खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा........ रा० काश्त० 111,128 ....नं. 78/2020 ....सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/05/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/06/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
03/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 9 व 11 से 32 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त तथा विप्रार्थी संख्या-10 के नोटिस पर मृतक होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थी संख्या-10 का नाम विलोपित करने जिनके कायम मुकाम पूर्व में विप्रार्थी संख्या-6 से 9 रेकर्ड पर है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 05/06/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

05/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी ...
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विपक्षी संख्या-10 को
आवेदन से हटाने बाबत को स्वीकार किया ...
विपक्षी संख्या-10 का नाम आवेदन से हटाया
जाता है। (विलोपित किया जाता है) प्रार्थी अधिवक्ता
विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में तामील शुदा प्राप्त।
विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के
अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधि-
वक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी
खेत सेंध सेंध आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के
मध्य जो पुरानी मांढे आई हुई थी जो वर्तमान में प्रार्थियों
की वजह से बिगड़ गई है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षी-
गणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना
रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत की नेपमबन्दी
करना आवश्यक है। कि इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी
आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया
जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक
को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी
के खातेदारी खेतो की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर
शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज
नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
5.6.2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

...क/आवेदन/2020/ 352 दिनांकः– 05/06/2020

...जस्व आवेदन संख्या – 78/20

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री लालचन्द पुत्र प्रतापमल
जाति–सोनी, निवासी–बायतु
चिमनजी, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

श्री खेताराम पुत्र दीपाराम वगैरा 32

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बायतु चिमनजी पटवार हल्का बायतु चिमनजी के खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 7.3376 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायकं कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 353–357 दिनांकः– 05/06/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकरं नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लालचन्द पुत्र प्रतापमल।
4. विप्रार्थीगण श्री खेताराम पुत्र दीपाराम वगैरा 32।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:18:43 IST
Reason: SelfAttested